<u>प्रकरण संख्या 03/2024 बालू बनाम शोभालाल व अन्य</u>

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.06.2024	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि संवत् 1991 की जमाबन्दी अनुसार ग्राम भोलीखेडा स्थित आराजी नंबर 521 रकबा 12 बीघा 11 बिस्वा तथा आराजी नंबर 522/1 रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के पूर्वज केला, लाला एवं नीमा पिता करमा के खातेदारी में दर्ज होकर उनके स्वामित्व एवं आधिपत्य की थी। इसी प्रकार संवत् 2028 से 2031 की जमाबन्दी में आराजी नंबर 111 रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा एवं आराजी नंबर 114 रकबा 4 बिस्वा वादी एवं प्रतिवादी के पूर्व कालू पिता केला, मगनीराम पिता लाला के खातेदारी में दर्ज थी। गत आराजी नंबर 521, 522/1 व 114 के नये नंबर 852, 853, 855, 856, 821, 255, 258, 256 बने। गत आराजी नंबर 521 व 522/1 में वादी के परदादा लाला पिता करमा एवं आराजी नंबर 111 व 114 में वादी के दादा मगनीराम पिता लाला का 1/2 हिस्सा दर्ज था। वक्त सेटलमेन्ट गलती से वादी के दादा एवं परदादा का नाम राजस्व जमाबन्दी से हटा दिया गया, जबकि उक्त आराजीयात से बने वर्तमान आराजी नंबर 821, 852, 853, 854 में वादी का 1/3 हिस्सा एवं वर्तमान आराजी नंबर 255, 256, 258 में वादी का 1/2 हिस्सा होकर वादी अपने हिस्से अनुसार आज भी काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। प्रतिवादीगण ने खसरा नंबर 853, 855, 856 में अपना हिस्सा प्रतिवादी संख्या 14 किशनलाल को विक्रय कर दिया है। वर्तमान जमाबन्दी में वादी का हिस्सा गलती से प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हो गया है, जिसे हटाया जाकर पुनः वादी के नाम दर्ज किया जावे एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 29.08.2023 से वादी का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर वादी/अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 09.02.2024 को प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर [illegible] को नोटिस [illegible]	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:40:39 IST
Reason: SelfAttested

किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 17 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए, जबकि अपीलान्ट के ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश देवपुरा उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की जानकारी अपीलान्ट को नहीं थी, क्योंकि उनके अधिवक्ता द्वारा उन्हें इसकी कोई सूचना नहीं दी गयी। दिनांक 05.02.2024 को जब अपीलान्ट अपने अधिवक्ता से मिला तो उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों पर कोई गौर नहीं किया है एवं मनमकसूद तरीके से निर्णय पारित कर दिया, जबकि अपीलान्ट अपने हिस्से की आराजियात पर आज भी काबिज होकर कमा खा रहा है, केवल मात्र जमाबन्दी से गलती से उसका नाम हटा दिया गया है, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री निरस्त की जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने प्रकरण में राजकीय हित निहित नहीं होने से प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। सन् 1991 की जमाबन्दी में साबिक आराजी नंबर 521 रकबा 12 बी 11 बिस्वा तथा आराजी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:40:39 IST
Reason: SelfAttested

नंबर 522/1 रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा भूमि अपीलान्ट एवं रेस्पोन्डेन्ट के पूर्वज केला, लाला एवं नीमा पिता करमा के खातेदारी में दर्ज होना स्पष्ट है। इसी प्रकार संवत् 2028 से 2031 की जमाबन्दी में आराजी नंबर 111 रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा एवं आराजी नंबर 114 रकबा 4 बिस्वा भूमि कालू पिता केला, मगनीराम पिता लाला के खातेदारी में दर्ज है तथा मगनीराम की मृत्यु पर विरासत का नामान्तरकरण अपीलान्ट के पिता हीरा के नाम स्वीकृत हुआ है। अधिनस्थ न्यायालय ने भी अपने विवेचन में इस तथ्य को तो माना है साबिक जमाबन्दी में विवादित भूमि वादी के पूर्वाधिकारी के नाम दर्ज थी, किन्तु वादी के पूर्वाधिकारी का नाम संवत् 2033 में नहीं होने से तथा संवत् 2031 की जमाबन्दी प्रस्तुत नहीं किये जाने के आधार पर वादी का वाद खारिज कर दिया, जो प्रथम दृष्टया उचित प्रकट नहीं होता है, क्योंकि प्रकरण में यह सुस्पष्ट स्थिति है कि विवादित साबिक आराजियात अपीलान्ट/वादी के पूर्वाधिकारी के नाम दर्ज थी, किन्तु बाद जमाबन्दी से उनका नाम किस आधार से हटा इस तथ्य की जांच कर ही निर्णय पारित करना चाहिए था। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 10/2020 में पारित निर्णय एवं डिक्री 29–08–2023 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि जब साबिक आराजियात पूर्व जमाबन्दी में अपीलान्ट के पूर्वाधिकारी का नाम दर्ज थी, तो बाद की जमाबन्दी से उनका नाम किस आधार पर हटाया गया इस तथ्य की जांच कर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 20.08.2024 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 20.06.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:40:39 IST
Reason: SelfAttested